भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय

आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के सह-स्थान हेतु

दिशानिर्देश

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय

आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के सह-स्थान हेतु

दिशानिर्देश

धर्मेन्द्र प्रधान
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Dharmendra Pradhan

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शिक्षा मंत्री
भारत सरकार
Minister of Education
Government of India

संदेश

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परिकल्पित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, भारत की शिक्षा यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। देश की समृद्ध परंपराओं और मूल्य प्रणालियों में निहित, इस नीति में हमारे बच्चों और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने हेतु तैयार करने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की पुनर्कल्पना की गई है। एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, तीन वर्षीय प्रीस्कूल (बाल वाटिका) को 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना में एकीकृत किया गया है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को शिक्षा के केंद्र में रखा गया है। इस नीति में आनंदमय, खेल-आधारित और समग्र प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक बच्चे के पास स्कूल और जीवन में फलने-फूलने के लिए एक मज़बूत आधार हो। निस्संदेह, बुनियादी शिक्षा में भारत को ज्ञान, नवाचार और समृद्धि के भविष्य की ओर ले जाने की क्षमता है।

इसी भावना के अनुरूप, स्कूलों के भीतर आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का सह-स्थापन एकीकृत, समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। इसके लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त क्षमताओं का उपयोग आवश्यक है। यह पहल आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक शिक्षा और कक्षा-1 से शुरू होने वाली औपचारिक स्कूली शिक्षा के बीच निरंतरता सुनिश्चित करती है। यह संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को भी सुनिश्चित करती है, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है तथा उचित पालन-पोषण के साथ बच्चों को प्रीस्कूल से प्राथमिक विद्यालय में स्थानान्तरण को सहज बनाती है।

"विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के को-लोकेशन हेतु दिशानिर्देश" राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दोनों विभागों के बीच सहयोग को और मज़बूत बनाने तथा इस संभावना को यथासंभव अधिक से अधिक स्थानों तक विस्तारित करने के लिए एक ढाँचा प्रदान करते हैं। मुझे विश्वास है कि ईसीसीई की मज़बूत नींव में निवेश और देखभाल, पोषण और शिक्षा के बीच तालमेल सुनिश्चित करने से हमारे नौनिहालों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने में काफ़ी मदद मिलेगी।

एनईपी 2020 के विज़न को साकार करने हेतु उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए सभी हितधारकों- राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अभिभावकों और समुदायों को मेरी हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि यह प्रशंसनीय पहल वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विज़न का मार्ग प्रशस्त करेगी।

(धर्मेन्द्र प्रधान)

सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

MOE - Room No. 301, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001, Phone : 91-11-23782387, Fax : 91-11-23382365
E-mail : minister.sm@gov.in

अन्नपूर्णा देवी
ANNPURNA DEVI

सत्यमेव जयते

महिला एवं बाल विकास मंत्री
भारत सरकार
Minister of Women & Child Development
Government of India

संदेश

प्रारंभिक बाल्यावस्था मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो आजीवन शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की नींव रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन से प्रेरित होकर, मैं मानती हूँ कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में किया गया निवेश, राष्ट्र के भविष्य में किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। यह ऐसे सशक्त, सक्षम और करुणामय नागरिक तैयार करेगा, जो 2047 तक भारत को आत्मविश्वास और गर्व के साथ आगे ले जाएंगे। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर बच्चा सुरक्षित, समावेशी और पोषणकारी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्राप्त करे।

हमारे सबसे छोटे नागरिकों के लिए एक मजबूत नींव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यनीति अपनाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के उद्देश्य भी इसी दिशा में निर्धारित हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों का प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह-स्थापना (co-location) इस दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा, पोषण और समग्र विकास तक सहज पहुंच सुनिश्चित करता है। यह न केवल बच्चों के लिए देखभाल और सीखने की निरंतरता को मजबूत करेगा, बल्कि शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल भी स्थापित करेगा। यह एकीकृत दृष्टिकोण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को एक साथ मिलकर बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए समर्थ बनाएगा, जिससे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र से कक्षा 1 में सुगमता से प्रवेश ले पाएंगे।

मुझे विश्वास है कि ये दिशा-निर्देश, आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह-स्थापना को प्रभावी रूप से लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन सिद्ध होंगे, साथ ही हर बच्चे के सर्वोत्तम हित को केंद्र में रखेंगे। हम सब मिलकर, इस सामूहिक प्रयास के माध्यम से, विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य के और करीब पहुँच रहे हैं, जहाँ हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होकर राष्ट्र की प्रगति में सार्थक योगदान दे सके।

मैं सभी हितधारकों, भागीदारों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सेवा भाव, अटूट समर्पण और संकल्प की भावना से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बधाई देती हूँ।

(अन्नपूर्णा देवी)

Room No 301, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi 110001, Tel. No. : 011-23071331

संजय कुमार, भा.प्र.से
सचिव

Sanjay Kumar, IAS
Secretary

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
Department of School Education & Literacy
Ministry of Education
Government of India

सत्यमेव जयते

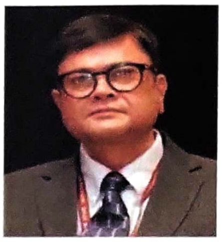

संदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, देश की शिक्षा नीति के इतिहास में पहली बार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को प्रीस्कूल के तीन वर्षों को 5+3+3+4 संरचना में एकीकृत करके सीखने की निरंतरता की नींव के रूप में मान्यता देती है। इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए मंत्रालयों, विभागों और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जो प्रत्येक बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम शुरुआत देने के लिए साझी प्रतिबद्धता के साथ मिलकर काम करें। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने "बच्चों को एक अच्छा, नैतिक, विचारशील और संवेदनशील इंसान बनाने के लिए पूर्व-प्राथमिक स्तर पर निवेश" की आवश्यकता पर बल दिया है। यह @विकसित भारत 2047 के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है।

"विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के को-लोकेशन हेतु दिशानिर्देश " इस दिशा में एक ठोस कदम है। यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) और महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के बीच साझेदारी का प्रतीक है, साथ ही राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त संस्थानों और संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी को भी इसमें शामिल करता है। इस सहयोगात्मक प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित किया है कि ये दिशानिर्देश राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के तालमेल के लिए एक व्यावहारिक साधन के रूप में काम करेंगे ताकि स्थानीय स्तर पर प्रभावी सह-स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही विविध संदर्भों और आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी भी रहा जा सके।

आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों को एक छत के नीचे लाकर, ये दिशानिर्देश संयुक्त योजना, बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग और प्रीस्कूल से कक्षा I तक के बच्चों के लिए सुचारू स्थानान्तरण के अवसर सुनिश्चित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इस सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि देखभाल, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा को हर बच्चे के भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए साथ-साथ चलना चाहिए।

मैं दोनों मंत्रालयों की टीमों को बधाई देता हूं जिन्होंने संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण (Whole-of-Government Approach) को प्रदर्शित करते हुए इन दिशानिर्देशों के लिए अथक परिश्रम किया।

मुझे विश्वास है कि राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से, यह पहल स्कूल की तैयारी को काफ़ी बढ़ाएगी, बच्चों के स्कूल में बने रहने की क्षमता में सुधार लाएगी और शुरुआती व बाद के वर्षों में सीखने के परिणामों में सुधार लाएगी। हम सब मिलकर एक मज़बूत और अधिक समावेशी शिक्षा प्रणाली की नींव रख रहे हैं - एक ऐसी प्रणाली जो यह सुनिश्चित करेगी कि हर बच्चा आत्मविश्वास, जिज्ञासा और न केवल अपने लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ स्कूल में कदम रखे।

(संजय कुमार)

124 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
124 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Telephone: +91-11-23382587, +91-11-23381104 Fax : +91-11-23387589
E-mail: secy.sel@nic.in

अनिल मलिक, आई.ए.एस.
सचिव
Anil Malik, I.A.S.
Secretary
Tel. : 011-23383586, 23386731
Fax : 011-23381495
E-mail: secy.wcd@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001
Government of India
Ministry of Women & Child Development

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

संदेश

प्रारंभिक वर्ष हर बच्चे की यात्रा की नींव रखते हैं। हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि यह नींव मजबूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हो। आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह-स्थान (co-location) एक महत्वपूर्ण कदम है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत सहज प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ECCE) के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक अहम पहल है।

ये दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शिका उपलब्ध कराते हैं, जिससे सेवाओं का एकीकरण हो, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो, और छोटे बच्चों के लिए एक सहायक माहौल तैयार हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और विद्यालय शिक्षकों के बीच समन्वय, गतिविधियों की संयुक्त योजना, पाठ्यक्रम संरेखण और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चे पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक शिक्षा की ओर सुगमता से अग्रसर हो सकें।

इस पहल की सफलता – राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और समुदाय – प्रत्येक स्तर पर प्रभावी समन्वय पर निर्भर करती है। मैं सभी साझेदारों से आग्रह करता हूँ कि वे समर्पण और सामंजस्य के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। देखभाल, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की निरंतरता को सुदृढ़ करके, हम राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति – अपने बच्चों – में निवेश कर रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि सामूहिक प्रयासों से, सह-स्थान मॉडल एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, जो सीखने के परिणामों को सुधारने और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

(अनिल मलिक)

आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के सह-स्थान हेतु दिशानिर्देश

विषय सूची

I. प्रस्तावना		**1**
II. भारत में ईसीसीई: एक एकीकृत दृष्टिकोण		**2-5**
2.1	भारत में ईसीसीई की मौजूदा संरचना	2-3
2.2	प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का सह-स्थान	3
2.3	आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान की वर्तमान स्थिति	4
2.4	आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान की दिशा में संयुक्त प्रयास	4
2.5	सह-स्थान के मौजूदा मॉडलों के कुछ उदाहरण	4-5
III. ग्रेड-1 वाले निकटवर्ती स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान हेतु मानक और मानदंड		**6-11**
3.1	कक्षा-1 वाले स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान मॉडल	6
3.2	निकटवर्ती सरकारी स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु दिशानिर्देश	6-7
3.3	निकटवर्ती स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का मानचित्रण	7-8
3.4	आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बीच समन्वय	8-9
3.5	बाल-अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण	10
3.6	पाठ्यक्रम	10-11
3.7	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और शिक्षकों का प्रशिक्षण/क्षमता विकास	11
3.8	समुदाय और अभिभावकों की सहभागिता	11
IV. प्राथमिक विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों की सह-स्थान में विभिन्न साझेदारों की भूमिका		**12-14**
4.1	राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा उठाए जाने वाले संयुक्त कदम	12
4.2	जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ)	12-13
4.3	ब्लॉक संसाधन समन्वयक (बीआरसी), क्लस्टर शैक्षणिक समन्वयक (सीएसी), बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) और ब्लॉक समन्वयक	13
4.4	अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी	14
4.5	सामंजस्य और समन्वय के माध्यम से प्रभावी सह-स्थान	14

परिवर्णी शब्द

ईसीसीई	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
आरटीई	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
सीआरसी	बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
एडब्लूसि	आंगनवाड़ी केंद्र
एमडब्लूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
डीओएसईएंडएल	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
एमओई	शिक्षा मंत्रालय
एमओएचएफडब्लू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
डीओएसजेई	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
डीईपीडब्लूडी	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
डीओएस	खेल विभाग
जेटीएफ	संयुक्त कार्य बल
एडब्लूडब्लू	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रि
एडब्लूएच	आंगनवाड़ी सहायिका
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एफएलएन	आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एसपीएनआईडब्लूसीडी	सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान
डीडब्लूसीडी	महिला एवं बाल विकास विभाग
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
एसएमसी	विद्यालय प्रबंधन समिति
पीटीएम	अभिभावक-शिक्षक बैठकें
वीएचएसएनडी	स्वच्छता और पोषण दिवस
एचओएस	विद्यालय प्रधान
डीआईईटी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
सीडीपीओ	बाल विकास परियोजना अधिकारी
एनसीएफ-एफएस	आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
टीएलएम	शिक्षण अधिगम सामग्री
सीआरजी	सामुदायिक संसाधन समूह
बीआरसी	खंड संसाधन केन्द्र
सीआरसी	समूह संसाधन केन्द्र
यूडाइज़+	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली+
डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
डीपीओ	जिला कार्यक्रम अधिकारी
बीआरसी	ब्लॉक संसाधन समन्वयक
सीएसी	क्लस्टर शैक्षणिक समन्वयक
सीडीपीओ	बाल विकास परियोजना अधिकारी
पीएसई	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा
बाला	बाला चित्रांकन

I. प्रस्तावना

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रमुख नीतिगत ढाँचों पर आधारित है, जैसे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 45, राष्ट्रीय बाल नीति (1974), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), राष्ट्रीय बाल कार्य योजना (2005), निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम (2009), राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति (2013) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) (2020)। भारत बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सीआरसी) 1989 का भी हस्ताक्षरकर्ता है। इसके अलावा, 2030 तक, सतत विकास लक्ष्य 4 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी लड़कियों और लड़कों को उच्च-गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो।

इस ढाँचे के अंतर्गत, प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्लूसि) की सह-स्थापना एक व्यावहारिक और दूरदर्शी रणनीति के रूप में उभरी है। 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 वाले 9.16 लाख विद्यालयों में, लगभग 2.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र पहले से ही सह-स्थित **(Co-located)** हैं। यह इस पहल के व्यापक महत्व को दर्शाता है, साथ ही इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए समान मानकों, मानदंडों और संचालन संबंधी स्पष्टता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्लूसीडी) और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ये दिशानिर्देश, राज्यों और प्रदेशों को सह-स्थानीकरण **(Co-location)** प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। ये दिशानिर्देश सह-स्थानीकरण के लिए मॉडल, मानदंड और संचालन मानदंड; विभिन्न साझेदारों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ; और समन्वय, सामुदायिक भागीदारी और स्कूल तैयारी को मज़बूत करने की रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।

इसका मुख्य ध्यान सह-स्थान के स्पष्ट मानकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के बीच अभिसरण, संयुक्त योजना, पाठ्यक्रम संरेखण, अभिभावकों की सहभागिता और बाल-अनुकूल शिक्षण वातावरण के निर्माण पर है। इन प्रथाओं को संस्थागत रूप देकर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्री-स्कूल से कक्षा 1 तक सुगम संक्रमण सुनिश्चित कर सकते हैं, ड्रॉपआउट कम कर सकते हैं, बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए आधार तैयार कर सकते हैं, साथ ही समग्र विकास को समर्थन देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल शिक्षकों के बीच अभिसरण को सक्षम बना सकते हैं।

इन दिशानिर्देशों का पालन करके, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, पोषण और देखभाल उपलब्ध हो। ये दिशानिर्देश निर्देशात्मक नहीं, बल्कि सक्षमकारी हैं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देते हैं, साथ ही एनईपी 2020 और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हैं। ये दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं कि प्रत्येक बच्चा स्कूल में प्रवेश करते समय सीखने, फलने-फूलने और माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए तैयार हो।

II. भारत में ईसीसीई: एक एकीकृत दृष्टिकोण

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति 2013 ने यह ज़ोर दिया कि "देश के प्रत्येक छह वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) सुनिश्चित की जाए"। इस प्रकार इसने सार्वभौमिक ईसीसीई उपलब्धता के प्रति एक दूरदर्शी प्रतिबद्धता स्थापित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना प्रस्तुत की गई है**,** जिसमें आधारभूत चरण (3–8 वर्ष आयु) के अंतर्गत तीन वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष आयु) को कक्षा 1 और 2 (6–8 वर्ष आयु) के साथ जोड़ा गया है**,** ताकि प्रारंभिक शिक्षा का एक सहज एवं निरंतर क्रम सुनिश्चित किया जा सके।

एनईपी, 2020 में कहा गया है कि देश भर में उच्च गुणवत्ता वाली ईसीसीई तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए *"विस्तृत और सशक्त ईसीसीई संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू किया जाएगा जिसमें (क) पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से (ख) प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से (ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों, जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे, और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं, इनके माध्यम से (घ) अकेले चल रहे प्री-स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों / शिक्षकों को भर्ती करेंगे"*(पैरा 1.4 एनईपी 2020)।

संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को आकार देने में प्रारंभिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा मंत्रालय (एमओई), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया गया है। तदनुसार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) ने सितंबर, 2021 में सभी संबंधित मंत्रालयों (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), रक्षा मंत्रालय (एमओडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्लूडी) और खेल विभाग (डीओएस)) का संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) गठित किया था। जेटीएफ का गठन ईसीसीई के कार्यान्वयन हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने और इसके लिए सेवाओं के बेहतर सहयोग के लिए किया गया है।

2.1 भारत में ईसीसीई की मौजूदा संरचना

2.1.1 आंगनवाड़ी सेवाएं: भारत में ईसीसीई ज्यादातर आंगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह प्रणाली मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत देश भर में कार्यान्वित है जिसके तहत लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ईसीसीई प्रदान की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्लूडब्लू)और सहायिकाओं (एडब्लूएच) द्वारा संचालित ये केंद्र छह सेवाओं; पूरक पोषण, पूर्व-प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवा का एक व्यापक पैकेज प्रदान करते हैं। एमओडब्ल्यूसीडी, मिशन पोषण 2.0 के तहत, परिवार,

समुदाय और केंद्र-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से छह साल से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए ईसीसीई को बढ़ावा देता है। ईसीसीई सेवाओं में तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती उत्प्रेरण और 3-6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए सुव्यवस्थित, खेल-आधारित पूर्व-प्राथमिक शिक्षा शामिल है। नियमित गृह भ्रमण के अंतर्गत - 0-3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शुरुआती प्रेरणादायी गतिविधियां, परामर्श सत्र, मासिक ईसीसीई दिवस और त्रैमासिक अभिभावक बैठकें, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने तथा स्कूल जाने की तैयारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.1.2 सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं: कई राज्य सरकारें स्कूलों में एक या दो साल की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रही थीं। इन अतिरिक्त कक्षाओं को राज्य स्तर या स्थानीय निकाय निधि से वित्त पोषित किया गया था। वर्ष 2018 में स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के रूप में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना ने स्कूलों को पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं तक एक निरंतरता के रूप में स्वीकार किया। समग्र शिक्षा की रूपरेखा में स्कूल में पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं जोड़ने तथा विद्यालय के परिसर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया। अतिरिक्त निधि उपलब्ध होने के कारण, कई राज्यों ने प्राथमिक विद्यालयों में दो वर्षीय पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं शुरू कीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट प्रावधान किए गए।

2.2 प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का सह-स्थान

प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का सह-स्थान, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और औपचारिक शिक्षा के बीच निरंतरता सुनिश्चित करके छोटे बच्चों के लिए एकीकृत सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण बुनियादी व्यवस्था के बेहतर उपयोग को सुगम बनाता है, विद्यालय के लिए तैयारी को बढ़ाता है, और शिक्षा एवं पोषण क्षेत्रों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करता है। यह बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक शिक्षा में सुचारू रूप से आगे बढ़ने को भी बढ़ावा देता है, साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और विद्यालय के शिक्षकों के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे अंततः बेहतर शिक्षण और विकासात्मक परिणाम मिलते हैं।

सह-स्थान के उद्देश्य

- बच्चों की विद्यालय तैयारी और आंगनवाड़ी केंद्र से प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय जाने की तैयारी कक्षा (ग्रेड) 1 तक उनका सुचारू स्थानांतरण सुनिश्चित करना।
- बच्चों के समग्र विकास हेतु, उल्लासपूर्ण शिक्षण अनुभव और प्रेरक वातावरण प्रदान करने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालय के बीच बेहतर संबंध और समन्वय स्थापित करना।
- सीखने के विभिन्न स्तरों पर उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक स्तर पर अधिक संख्या में बच्चों की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना।

2.3 आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान की वर्तमान स्थिति

आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान की वर्तमान स्थिति
कुल कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्र: 14,02 ,072
कक्षा-1 वाले कुल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय: 9,16,145
कक्षा-1 वाले कुल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, जिनमें आंगनवाड़ी केंद्र सह-स्थित हैं: 2,90,959
बालवाटिका/पूर्व-प्राथमिक अनुभाग वाले कुल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय: 2,51,979
कुल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय जिनमे बालवाटिका/पूर्व-प्राथमिक अनुभाग और सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्र दोनों हैं: 78,393
स्रोत: यूडीआईएसई+ 2023-24, पोषण ट्रैकर, जुलाई, 2025

2.4 आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान की दिशा में किए गए संयुक्त प्रयास

- 2017 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक संयुक्त डी.ओ. पत्र (सं. 11-4/2017-सीडी.। और 12-19/2017/ईई.8 दिनांक 20 जुलाई, 2017) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था, जिसमें उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान की संभावना का पता लगाने की सलाह दी गई थी, जिसका अर्थ है कि कक्षा 1 वाले विद्यालय के परिसर के भीतर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना, जब विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्र के समीप स्थित हो। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान की संभावना का पता लगाएं, ताकि विद्यालय जाने के लिए बच्चों की तैयारी में सुधार हो सके और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से औपचारिक स्कूली शिक्षा में सुचारू रूप से आगे बढ़ना सुनिश्चित हो सके।
- 1 अगस्त, 2022 को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किराए के स्थानों पर संचालित या पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को कक्षा 1 वाले नजदीकी सरकारी स्कूलों के साथ स्थापित करने का परामर्श दिया गया।
- 2 अप्रैल, 2025 को शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक संयुक्त परामर्श जारी किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान और देश भर में ईसीसीई और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (एफएलएन) सेवाओं की प्रदायगी में सुधार के बारे में बताया गया।

2.5 सह-स्थान के मौजूदा मॉडलों के कुछ उदाहरण*

विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय अवलोकनों से प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान में विविध पद्धतियां दिखाई देती हैं। ये दृष्टिकोण परस्पर समन्वय, संसाधनों और बुनियादी व्यवस्था के विभिन्न

स्तरों के आधार पर भिन्न हैं। क्षेत्र में अपनाए जा रहे विभिन्न प्रकार के सह-स्थान के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

i. कुछ क्षेत्रों में, प्राथमिक विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए एक अतिरिक्त कमरा निर्धारित किया गया है, जो 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, जबकि विद्यालय 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाटिका कक्षाएं चलाता है; हालांकि, दोनों के बीच तालमेल अक्सर सीमित होता है।
ii. कुछ स्थानों पर, भौतिक सह-स्थान सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय परिसर में ही आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नए भवन बनाए गए हैं। हालाँकि, विद्यालयों के साथ समन्वय बहुत कम या बिल्कुल नहीं है।
iii. कुछ स्थानों पर, एकल आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक रूप से मैप किया गया है या उन्हें पास के प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ा गया है। विद्यालय के ईसीसीई-प्रशिक्षित शिक्षक आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करते हैं ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पाठ्यक्रम आयोजना और कक्षा संचालन में सहायता मिल सके ।
iv. सह-स्थानित आंगनवाड़ी केंद्रों में कभी-कभी बुनियादी विद्यालय की सुविधाओं जैसे बिजली आपूर्ति**,** रसोई व्यवस्था और शिक्षण संसाधन की कमी होती है। विशिष्ट कक्षाओं के अभाव में**,** कई आंगनवाड़ी केंद्र या बालवाटिकाएँ**,** विद्यालय के बरामदों या परिसर के भीतर अस्थायी स्थानों से संचालित की जा रही हैं।

(*ऊपर वर्णित मॉडल एनसीईआरटी (**NCERT**) और एसपीएनआईडब्लूसीडी (**SPNIWCD**) द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरों पर आधारित हैं)

इन ज़मीनी उदाहरणों से पता चलता है कि देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बीच सह-स्थान के कई मॉडल मौजूद हैं और विकासात्मक निरंतरता और विद्यालय जाने की तैयारी को बढ़ावा देने में उनकी प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक मॉडल का गंभीरता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने मौजूदा मॉडलों की समीक्षा करने और अपने-अपने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्कूली शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करके, उन्हें इन मानकीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चाहे कोई भी मॉडल लागू हो, यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि बुनियादी ढाँचा और शिक्षण संसाधन समान रूप से उपलब्ध कराए जाएँ, और आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के बीच मज़बूत समन्वय हो।

III. ग्रेड-1 वाले निकटवर्ती विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों की सह-स्थान के लिए मानक और मानदंड

3.1 ग्रेड-1 वाले विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान के मॉडल

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में विभिन्न मॉडलों को कार्यान्वित कर रहे हैं परंतु उनके सामने विशिष्ट प्रचालन चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने और कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मानकीकृत मॉडलों का विवरण नीचे दिया गया है:

मॉडल का प्रकार	मानदंड	अनुसरण योग्य मॉडल
1.	यदि न्यूनतम स्थान और बुनियादी व्यवस्था के मानदंड पूरे हों • जहाँ तक संभव हो, आंगनवाड़ी केंद्रों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार स्थापना के लिए मानक विनिर्देशों को पूरा करना चाहिए। • सह-स्थान के लिए चुने गए विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पर्याप्त स्थान, बाहरी और भीतरी खेल क्षेत्र, छोटे बच्चों के लिए शौचालय, पेयजल सुविधा, बच्चों के लिए पका हुआ गरम भोजन तैयार करने हेतु रसोई क्षेत्र, खाद्य पदार्थों के भंडारण हेतु स्टोर और अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार होने चाहिए।	आंगनवाड़ी केन्द्र को भौतिक रूप से एक साथ स्थापित करना।
2.	यदि स्थान और बुनियादी व्यवस्था की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं।	ग्रेड-1 वाले निकटतम विद्यालय के साथ मैपिंग।

3.2 आंगनवाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती सरकारी विद्यालयों में सह-स्थानित करने के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश।

3.2.1 उन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सह-स्थान पर विचार किया जा सकता है जिन्हें अभी तक सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत नहीं किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान का निर्धारण करते समय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित बातों के आधार पर राज्य विद्यालय शिक्षा विभाग और राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्लूसीडी) द्वारा संयुक्त रूप से सह-स्थान की व्यवहार्यता पर विचार करना होगा:

i. सह-स्थान को प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों में विचार किया जा सकता है, जिनमें ग्रेड 1 के साथ बालवाटिका/पूर्व-प्राथमिक कक्षा नहीं है।

ii. उन आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास स्वयं के भवन नहीं हैं, जो किराए के परिसर में काम कर रहे हैं, या जिनमें बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

iii. उन आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी जहां अधिकांश बच्चे हाशिए पर स्थित समूहों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जनजातीय क्षेत्र और प्रवासी परिवार) से संबंधित हैं।

iv. आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थानांतरण में आसानी के लिए, शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 500 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किमी तक की यात्रा की दूरी पर विचार करने का सुझाव दिया गया है ताकि गर्भवती महिलाओं और बच्चों की पहुँच आसान हो सके। तथापि, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अपने विशिष्ट क्षेत्रों में भौगोलिक भूभाग और स्थानांतरण की व्यवहार्यता के आधार पर निर्णय लेने की छूट है।

v. सह-स्थान के लिए चुने गए विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए पर्याप्त आंतरिक स्थान होना चाहिए, साथ ही प्रमुख सुविधाएं जैसे कि बाहरी खेल क्षेत्र, बच्चों के अनुकूल शौचालय, सुरक्षित पेयजल सुविधाएं, गरम भोजन तैयार करने के लिए एक निर्दिष्ट रसोई स्थान और पोषण वाटिका स्थापित करने के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और विकास के लिए अनुकूल और समृद्ध वातावरण बनाने में योगदान करते हैं।

vi. छोटे बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यदि संभव हो तो, एक ही स्थान पर स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार होने चाहिए। अन्यथा, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं आदि सभी लाभार्थियों के लिए सुगम पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

vii. यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित किया जाना हो, तो स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, एक प्राथमिक विद्यालय में दो से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक साथ न रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि दोनों आंगनवाड़ी केंद्रों को एक साथ रखना संभव न हो, तो निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र को एक साथ रखा जाना चाहिए और शेष सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालय के साथ मैप किया जा सकता है (ऊपर दिए गए मॉडल 2 के अनुसार)। इसके अलावा, जिन विद्यालयों में कक्षा-1 के अंतर्गत एक ही क्षेत्र में एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहां कक्षा-1 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को पर्याप्त स्थान के साथ आसानी से समायोजित करने के लिए विद्यालय को तैयार रहना चाहिए।

viii. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के दिशानिर्देश सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होंगे।

3.2.2 उपर्युक्त मानदंड पूरे होने पर ही आंगनवाड़ी केंद्र के सह-स्थान के लिए और अधिक कदम उठाए जाने चाहिए। इस निर्णय पर संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों और उन माताओं और अभिभावकों के साथ चर्चा की जानी चाहिए जिनके बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में भाग लेते हैं और आंगनवाड़ी की अन्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं।

3.3 आंगनवाड़ी केंद्रों की निकटवर्ती विद्यालयों के साथ मैपिंग

3.3.1 जहां भी सह-स्थान संभव नहीं है, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को कक्षा 1 वाले निकटतम विद्यालय से जोड़ सकते हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चों का विद्यालय में जाना सुचारू रूप से हो सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाया जाने वाला पहला कदम आंगनवाड़ी केंद्रों

के आंकड़ों को युक्तिसंगत बनाना है। इन प्रमुख आंकड़ों में ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यात्मक आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या, एवं स्वयं की इमारतों में, सामुदायिक स्थानों में या किराए के भवनों में आंगनवाड़ी केंद्रों की पहचान शामिल है। इस डेटा के आधार पर, विशिष्ट स्थान के साथ या उसके बिना सरकारी विद्यालयों के परिसर में सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों और सह-स्थित हो सकने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की पहचान की जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को निकटतम विद्यालय से जोड़ें। इस अभ्यास के लिए गति शक्ति पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह संभावना है कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ा जा सकता है।

3.3.2 मैपिंग की प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह आंगनवाड़ी केंद्रों से विद्यालयों तक जाने को सुगम बनाती है, विशेष रूप से दूरस्थ या वंचित क्षेत्रों के बच्चों को लाभान्वित करती है और औपचारिक शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करती है। यह संरेखण आंगनवाड़ी केंद्रों से स्नातक होने वाले बच्चों को मैप विद्यालयों में उचित कक्षा स्तरों में समय पर प्रवेश और सुचारू एकीकरण में सक्षम बनाता है। इसके अलावा मैपिंग, आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देती है, जिससे बच्चों की समग्र शैक्षिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। स्पष्ट संबंध स्थापित करके, यह प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के बीच संयुक्त स्वामित्व और साझा जिम्मेदारी को भी संस्थागत बनाती है, जिससे निगरानी, जवाबदेही और कोई भी बच्चा पीछे न छूटे-इसकी निरंतर प्रतिबद्धता के तंत्र मजबूत होते हैं।

3.4 आंगनवाड़ी केन्द्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बीच समन्वय

प्राथमिक विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों की सह-स्थान करने का उद्देश्य बच्चों के सुचारू स्थानांतरण के लिए दोनों संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय बनाना है। बेहतर तालमेल लाने के लिए, राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभागों को निम्नलिखित बातों पर सहमत होना चाहिए:

i. **बच्चों संबंधी आंकड़ों का मिलान**
   - 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्रों और/या प्राथमिक विद्यालयों के आंकड़ों का मिलान किया जाना चाहिए, ताकि उक्त आयु वर्ग की सटीक लक्षित जनसंख्या का पता लगाया जा सके और दोहराव से बचा जा सके।
   - स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग को 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिए छात्र रजिस्ट्री तैयार करनी चाहिए ताकि सेवाओं के दोहराव से बचा जा सके।

ii. **संयुक्त गतिविधियों का संचालन**
   - भौतिक रूप से सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में, सहयोग को बढ़ावा देने और विद्यालय की तैयारी को मजबूत करने के लिए शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बीच संयुक्त गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनमें वार्षिक

समारोह, खेलकूद प्रतियोगिताओं, ईसीसीई दिवस, त्यौहारों, बाल मेला, वृक्षारोपण अभियान, मिशन लाइफ के अंतर्गत इको-क्लब गतिविधियां, पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, अभिभावक-शिक्षक बैठकें (पीटीएम), ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी), अभिभावक कार्यशालाएं, परिवार साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा सत्र और अन्य विद्यालय घर सहयोग पहल, विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के साथ, जैसे कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। सार्थक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, पर्यवेक्षक, विद्यालय प्रधान (एचओएस) और कक्षा 1 के शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक/पूर्व-प्राथमिक शिक्षक ऐसी गतिविधियों में संयुक्त रूप से भाग लें। विशेष रूप से, आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित पीटीएम के दौरान, कक्षा 1 के शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक या एचओएस की उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- विद्यालय शिक्षकों द्वारा आदर्श रूप से महीने में एक बार चिह्नित आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित दौरा करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के सहयोग से संयुक्त गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- डीडब्ल्यूसीडी और एससीईआरटी/ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) को 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक एकीकृत गतिविधि कैलेंडर, एक साझा वार्षिक कैलेंडर (शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक गतिविधियों सहित) और मानकीकृत शिक्षण-अध्यापन सामग्री तैयार करनी चाहिए, चाहे वे आंगनवाड़ी केंद्रों में हों या बालवाटिका में, ताकि बेहतर समन्वय लाया जा सके और बच्चों के समग्र विकास के लिए आयु-उपयुक्त अनुभव सुनिश्चित किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, प्रासंगिक शिक्षण और दृश्य जुड़ाव को बढ़ाने के लिए बाला पेंटिंग्स में एकीकरण हेतु देशी कविताओं और कहानियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को साझा कार्यक्रम आयोजित करने और संयुक्त गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए संयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए, जिनमें आंगनवाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 व 2 के बच्चों के अभिभावक भाग ले सकें। इससे बेहतर कार्यक्रम संबंध बनेंगे और स्कूली कार्यक्रमों में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ेगी।

iii. मासिक समन्वय बैठकें

- शिक्षकों, सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और चिह्नित आंगनवाड़ी केंद्रों की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच नियमित मासिक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। ये बैठकें प्रधानाचार्य या विद्यालय प्रधान (एचओएस) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) या नामित पर्यवेक्षक(सुपर्वाइज़र) की उपस्थिति में आयोजित की जानी चाहिए। ये बैठकें शिक्षा के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगी, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करेंगी, चुनौतियों पर चर्चा करेंगी और सुचारू परिवर्तन एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतियों को अनुकूल बनाएंगी।

3.5 बच्चों के अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण

बच्चे आधारभूत स्तर पर सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन्हें अन्वेषण, प्रयोग, अनुभव साझा करने, कहानियों, गीतों, कविताओं, कला और शिल्प, संगीत और गतिविधियों, घर के अंदर और बाहर खेलने और भ्रमण के माध्यम से प्रकृति के साथ समय बिताने के अवसर मिलते हैं। बच्चों को निरंतर प्रशंसा, प्रोत्साहन और प्रेरणा के माध्यम से सुरक्षित, भावनात्मक रूप से समर्थित और निर्देशित भी किया जाना चाहिए ताकि उनमें सकारात्मक आत्म-अवधारणा विकसित हो सके। इसे आयु-उपयुक्त शिक्षण-पद्धति और पाठ्यक्रम के आधार पर अधिगम अनुभव तैयार करके प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 2 तक के अधिगम की निरंतरता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–प्रारंभिक स्तर (NCF-FS) 2022 के सुझावों के अनुसार अपनाया जाए।

सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में नामांकित बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय की सुविधाओं और संसाधनों तक समान पहुँच होनी चाहिए। इन मानदंडों का पालन करना प्रत्येक बच्चे के समावेशी, समतामूलक और सुरक्षित प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3.6 पाठ्यक्रम

कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने या तो स्वतंत्र रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-विशिष्ट, प्रासंगिक पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। तथापि, यह आवश्यक है कि सभी राज्य-स्तरीय पाठ्यक्रमों को कार्य क्षेत्र, पाठ्यचर्या लक्ष्यों और आयु-उपयुक्त दक्षताओं के संदर्भ में एनसीएफ-एफएस के अनुरूप बनाया जाए ताकि पूरे देश में ईसीसीई में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हाल ही में आरंभ किया गया 'आधारशिला पाठ्यक्रम' एनसीएफ-एफएस के अनुरूप एक संरचित, खेल-आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसी प्रकार, एनसीएफ-एफएस के आधार पर, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जादुई पिटारा को शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) के रूप में तैयार किया है, जिसमें आधारभूत स्तर के लिए 53 सामग्री शामिल हैं जैसे खिलौने, खेल, पहेलियाँ, कठपुतलियाँ, पोस्टर, फ्लैशकार्ड, कहानी कार्ड, छात्रों के लिए प्ले बुक सेट, शिक्षकों के लिए "उन्मुख" नामक हैंडबुक, और उपयोगकर्ता पुस्तिका और गतिविधि पुस्तिका "आनंद", जिसमें बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली एकीकृत कार्यपत्र शामिल हैं। सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी केंद्रों में आधारभूत शिक्षण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए इन दोनों टीएलएम को अपने मौजूदा ढाँचों में अपनाने, अनुकूलित करने या एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जादुई पिटारा का डिजिटल संस्करण ई-जादुई पिटारा (ई-जेपी) है, जो तकनीक को खेल-आधारित शिक्षण पद्धति के साथ एकीकृत करता है और तीन विशिष्ट बॉट्स - कथा सखी (कहानीकार), शिक्षिका तारा (शिक्षक मार्गदर्शिका) और अभिभावक तारा (अभिभावक सहायता) के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में 1,000 से अधिक कहानियाँ प्रस्तुत

करता है। यह शिक्षकों/आंगनवाड़ी कार्यकर्तारियों द्वारा आईओएस और एंड्रॉइड पर उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है और इसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

3.7 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और शिक्षकों का प्रशिक्षण/क्षमता विकास

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रभावी और एकसमान क्रियान्वयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और शिक्षकों के प्रशिक्षण/क्षमता विकास के संबंध में दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

3.8 समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी:

माता-पिता और समुदाय यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और उनके घर का वातावरण ऐसा हो कि बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनके अधिगम में प्रगति का पर्याप्त अवसर मिले। ऐसे सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में – जहां सह-स्थापना हुई हो या मैपिंग हुई हो, वहाँ शुरूआती चरण में बच्चों के माता-पिता के लिए सुझाई गई निम्नलिखित गतिविधियाँ, आयोजित की जा सकती हैं:

- शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां/सहायिकाएं वार्षिक समारोह, खेल-कूद प्रतियोगिताओं, ईसीसीई दिवस, त्योहारों, पीटीएम के दिन, वीएचएसएनडी इत्यादि के दौरान समुदाय और अभिभावकों से बातचीत करें।
- माता-पिता, दादा-दादी, समुदाय के लोगों को कहानी सुनाने, कला-शिल्प और अपने व्यवसायों के बारे में बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- प्रवेशोत्सव/स्कूल जाने की तैयारी/एफएलएन मेला का आयोजन करना और आंगनवाड़ी केंद्रों, बालवाटिका तथा कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों के माता-पिता को गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे खेल और गतिविधि-आधारित अधिगम के महत्व को समझ सकें।
- समुदाय द्वारा नियमित गतिविधियां जैसे बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाना, बच्चों के कार्यों की प्रदर्शनी, चौपाल में पढ़कर सुनाना इत्यादि शुरू की जा सकती हैं।
- प्रत्येक स्कूल/क्लस्टर में खंड संसाधन केन्द्र (बीआरसी)/ समूह संसाधन केन्द्र (सीआरसी) की सहायता से कहानीकारों, गायकों, नर्तकों, संगीतकारों, पहेली बनाने वालों, खिलौने बनाने वालों, हास्य कलाकारों इत्यादि को शामिल करके सामुदायिक संसाधन समूह (सीआरजी) का गठन किया जाएगा।
- व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर माता-पिता का मार्गदर्शन किया जा सकता है, जहाँ छोटे-छोटे वीडियो और घर पर बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ साझा की जा सकती हैं। स्कूल में कराई जाने वाली गतिविधियों और बच्चे की प्रगति की जानकारी माता-पिता के साथ साझा की जा सकती है। अभिभावकों को यह भी बताया जा सकता है कि बच्चे को घर पर पढ़ाई के लिए किस तरह की सहायता की ज़रूरत है।
- माता-पिता को अपेक्षित शिक्षण परिणामों, पोर्टफोलियो, गृह कार्य और घर पर बच्चे को सहयोग देने में उनकी भूमिका के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

IV. प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की सह-स्थापना में विभिन्न हितधारकों की भूमिका

शिक्षा विभाग और राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक/क्लस्टर, स्कूल और समुदाय) पर ईसीसीई पदाधिकारियों के रूप में विभिन्न हितधारक हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह-स्थान हेतु हितधारकों की निम्नलिखित भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, ताकि सभी बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनका प्राथमिक शिक्षा में सहज आगमन हो: -

4.1 राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त कदम उठाए जाएंगे

- संबंधित विभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और शिक्षकों को बच्चों के सुचारू स्थानांतरण के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय से काम करने का निर्देश दे सकते हैं।
- एक ही जगह पर स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों और उनके कामकाज के संबंध में ब्लॉक, क्लस्टर, गांव तथा स्कूल के पदाधिकारियों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों की निगरानी करना।
- सभी सह-स्थित या मैप किए गए या ट्विन आंगनवाड़ी केंद्रों को शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली+(यूडाइज़+) पर पंजीकृत करें।
- सह-स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 'पूर्व-प्राथमिक शिक्षा' कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत मानकों के अनुसार बजटीय आवंटन सुनिश्चित करना, जिसमें बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री, बुनियादी ढांचे का उन्नयन, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के बीच संयुक्त गतिविधियां, अभिभावकों की सहभागिता तथा जागरूकता निर्माण शामिल हो सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सहित अन्य गतिविधियों के प्रभारी बने रहेंगे, जबकि शिक्षक स्कूल के प्रभारी बने रहेंगे।
- आंगनवाड़ी केंद्रों की मौजूदा रिपोर्टिंग प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए यह प्रणाली समान रहेगी जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करेंगी, जो सीडीपीओ को रिपोर्ट करेंगे इत्यादि।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी केंद्रों में 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का पंजीकरण करेगा, जिसे पोषण ट्रैकर पर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। इसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ भी साझा किया जाना चाहिए ताकि सेवाओं के दोहराव से बचा जा सके।

4.2 जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ)

- जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को स्थानीय स्तर पर समन्वय के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वे स्थानीय हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और उन्हें उनकी संबंधित भूमिकाओं के बारे में जानकारी देने के लिए प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/पर्यवेक्षकों की संयुक्त बैठकें आयोजित कर सकते हैं।

- डीईओ और डीपीओ को बीआरसी/सीआरसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की निगरानी करनी चाहिए।

4.3 ब्लॉक संसाधन समन्वयक (बीआरसी), क्लस्टर शैक्षणिक समन्वयक (सीएसी), बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), पर्यवेक्षक और ब्लॉक समन्वयक

- बीआरसी/सीएसी/सीडीपीओ जमीनी स्तर पर प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और मासिक बैठकों के दौरान अद्यतन जानकारी एकत्र कर सकते हैं।
- ब्लॉक/क्लस्टर प्रमुख/समन्वयक को ब्लॉक/क्लस्टर के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों की मांगों को पूरा करने के लिए ब्लॉक/क्लस्टर के संसाधनों की मैपिंग करनी होगी।
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी, और सीआरसी के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जाना चाहिए।
- गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व तथा अपने बच्चों की शिक्षा और विकास में उनकी भूमिका के बारे में अभिभावकों के बीच जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।
- ब्लॉक स्तर पर, शिक्षा विभाग के बीआरसी, सीएसी और सीडीपीओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पर्यवेक्षक एक संयुक्त सोशल मीडिया ग्रुप बना सकते हैं। यह ग्रुप जमीनी स्तर पर भागीदारी के लिए जारी किए गए सरकारी निर्देशों/सलाहों सहित महत्वपूर्ण संचार को सुगम बना सकता है।
- सीडीपीओ/पर्यवेक्षकों/ब्लॉक समन्वयकों को स्कूल के प्रधानाध्यापकों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि 100% बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों से कक्षा 1 में स्थानांतरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्हें स्कूल छोड़ने के कारणों की जांच करनी चाहिए और जमीनी स्तर पर मुद्दों का समाधान करना चाहिए।
- सीडीपीओ और पर्यवेक्षकों को समय-समय पर निगरानी दौरे करने चाहिए, जिसमें औचक निरीक्षण भी शामिल है, ताकि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और आंगनवाड़ी केंद्रों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (पीएसई) सामग्री की उपलब्धता का आकलन किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जा रहा है तथा आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।
- बीआरसी/सीएसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं, संसाधनों और शैक्षणिक पद्धतियों को साझा करने में आंगनवाड़ी केंद्रों को सहायता प्रदान करें।
- कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों और बाल विकास अधिकारियों (सीडीपीओ) की त्रैमासिक बैठकों का प्रावधान किया जाना चाहिए। बीआरसी और सीएसी को स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन से संबंधित मामलों में समन्वय करना चाहिए तथा जिला स्तर पर हल किए जाने वाले मुद्दों एवं चुनौतियों को साझा करना चाहिए।

4.4 माता-पिता और समुदाय की भागीदारी

4.4.1 माता-पिता और समुदाय को अपने बच्चों की शिक्षा में समान भागीदार के रूप में शामिल होना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को माता-पिता तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

- माता-पिता को सभी पालन-पोषण कार्यशालाओं, पारिवारिक साक्षरता कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों और स्कूल-घर सहयोग पहलों में जब भी उनका आयोजन किया जाए, भाग लेना चाहिए।
- माता-पिता और परिवारों को ईसीसीई में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए ताकि बच्चे बेहतर ढंग से समायोजित हो सके, आसानी से और आराम से अनुकूलित हो सकें।
- प्राथमिक विद्यालय में जाने पर बच्चे की प्रगति पर चर्चा करने और सीखने में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पीटीएम में माता-पिता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- ईसीसीई कार्यक्रमों की योजना, निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पंचायत तथा स्थानीय समुदायों को शामिल करें।
- सह-स्थान मॉडल में निरंतर सुधार लाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, स्कूल शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय प्राधिकारियों को शामिल करते हुए फीडबैक तंत्र स्थापित करें।

4.5 सामंजस्य और समन्वय के माध्यम से प्रभावी सह-स्थान

4.5.1 स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रभावी सह-स्थापन एकीकृत और व्यापक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है, जिससे बच्चों का औपचारिक स्कूली शिक्षा में सहज रूप से आगे बढ़ना सुनिश्चित होता है। इसके लिए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच संयुक्त योजना, साझा प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संरेखण तथा एकीकृत निगरानी के माध्यम से व्यापक समन्वय की आवश्यकता है। इन भूमिकाओं को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, जो स्थानीय नीतियों तथा सामुदायिक आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करे।

4.5.2 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान के लिए दिशानिर्देशों को लागू करें या उनका पालन करें तथा संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने, सेवा वितरण में सुधार करने एवं भागीदारी को मजबूत करने के लिए संबंधित विभागों के साथ प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करें। इस तरह के सहयोग को बढ़ावा देकर, हितधारक सामाजिक और मानव पूंजी विकास को आगे बढ़ाने के साझा लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। औपचारिक तंत्रों के माध्यम से इस भागीदारी को संस्थागत बनाने से स्कूल जाने वाले बच्चों की तैयारी बढ़ेगी, सीखने के परिणाम बेहतर होंगे, संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और प्रयासों का दोहराव रुकेगा।

4.5.3 विद्यालयों के अन्दर आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान में समय पर कार्यान्वयन और सहयोग से ईसीसीई तथा एफएलएन सेवाओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया जाएगा, जो कि एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होकर उन युवा एवं स्वस्थ शिक्षार्थियों के लिए एक मजबूत नींव रखेगा, जो विकसित भारत 2047 का मार्ग प्रशस्त करेंगे।